an>

title: Regarding two laws in the country.

श्री तारिक अनवर (कटिहार): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन दिनों देश के कई राज्यों में इल्लीगल स्लॉटर हाउस पर रोक लगाने को लेकर मीडिया में काफी चर्चा चल रही है। इल्लीगल स्लॉटर हाउस पर रोक लगे, इसका हम सब स्वागत करेंगे, क्योंकि अनहाइजनिक कंडीशन स्वास्थ्य की दृष्टि से कभी भी ठीक नहीं होता, उचित नहीं होता। परन्तु इल्लीगल स्लॉटर हाउस की आड़ में लीगल यूनिट्स को फ्लिम्सी ग्राउंड पर परेशान किया जाना भी उचित नहीं होगा। हमारा निवेदन है कि राज्य सरकारें इसमें एक ब्लू प्रिंट तैयार करें और इस व्यापार को आधुनिक ढंग से चलाया जाये, इसकी कोशिश होनी चाहिए।

सभापति महोदय, यह मीट व्यवसाय लगभग 50 हजार करोड़ रुपये की इंडस्ट्री है। अगर हमें इसे भय और डर के माहौल में रखेंगे, तो इस इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा। मेरी राय है कि केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और सब राज्यों को इस बात का निर्देश दे। इससे पहले कि माहौल खराब हो, हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि जल्द से जल्द एक ब्लू प्रिंट बनाकर इसका समाधान निकालना चाहिए।

माननीय सभापति:

श्री के.सी.वेणुगोपाल,

श्री जितेन्द्र चौधरी और

श्री पी.के. बिजू को श्री तारिक अनवर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।